

राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़.312001; Ph& Fax : 01472-241049; email : def.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2023 -24/ 2844

दिनांक : 21.4.2023

निमित्त,

सहायक अभियन्ता, (प व स)  
अ.वि.वि.नि. लि., बेगूं

**विषय :-** Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020

**प्रसंग :-** प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 ( )2022/एफसीए/प्रमुवसं/5639 दिनांक 17.4.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्नानुसार आक्षेप लगाए गए हैं। अतः उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	प्रस्ताव का नाम स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव में पारेषण लाइन डाली जानी है अथवा नवीन ग्रिड सबस्टेशन की स्थापना की जानी है। पारेषण लाइन कंहा से कंहा को जानी है, स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	
2	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या 4 में 33 के.वी. ए. 11 के.वी. का विवरण संलग्न किया गया है। जबकि प्रस्ताव के अन्य दस्तावेजों में पारेषण लाइन 33 के.वी. की डाली जानी अवगत कराया गया है उक्त स्थिति को स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	
3	रोजगार सृजन की सूचना सही नहीं भरी गयी है।	
4	वर्तमान में चालू 11 केवी की पारेषण लाइन जिससे जोगनिया माता को विद्युत आपूर्ति हो रही है वह किस रूट पर बनी है एवं नवीन पारेषण लाइन डाले जाने के उपरांत उसका क्या किया जावेगा यह स्पष्ट नहीं है।	
5	बार चार्ट में चेनएज इत्यादि अंकित नहीं किये गये हैं।	

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2023 -24/ 2845

प्रतिलिपि :- संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(विजय शंकर पाण्डेय)  
उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़

दिनांक : 21.4.2023

उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सार्वजनिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14( )2022/एफसीए/प्रमुवसं./ 5637  
मुख्य वन संरक्षक  
उदयपुर।

दिनांक 17-04-2023

विषय:- Creation of 33/11 KV line to new grid sub station Jogania Mata.  
(F/P/RJ/Trans/50545/2020)

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र रो प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. प्रस्ताव का नाम स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव में पारेषण लाइन डाली जानी है अथवा अथवा नवीन ग्रिड सबस्टेशन की स्थापना की जानी है। पारेषण लाइन कहां से कहां को जानी है, स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
  2. प्रस्ताव के पार्ट। के बिन्दु संख्या 4 में 33 के0वी0 ए0 11 के0वी का विवरण संलग्न किया गया है जबकि प्रस्ताव के अन्य दस्तावेजों में पारेषण लाइन 33 के0वी0 की डाली जानी अवगत कराया गया है उक्त स्थिति को स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
  3. रोजगार सृजन की सूचना सही नहीं भरी गयी है।
  4. वर्तमान में चालू 11 केवी की पारेषण लाइन जिससे जोगनिया माता को विद्युत आपूर्ति हो रही है वह किस रूट पर बनी है एवं नवीन पारेषण लाइन डाले जाने के उपरांत उसका क्या किया जावेगा यह स्पष्ट नहीं है।
  5. बार चार्ट में चेनरेज इत्यादि अंकित नहीं किये गये हैं।
  6. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव में दुगनी 13.08 है0 वन भूमि पर वृक्षारोपण के स्थान पर 65 है0 वन भूमि में वृक्षारोपण चिन्हित किया गया है उक्त वृक्षारोपण ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र में लिया गया है प्रस्तावित स्थल के नजदीक कम घनत्व वाले क्षेत्र है जहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 0.0 से 0.4 घनत्व वाले क्षेत्रों में ही किया जावे। एवं वनमण्डल में स्थित कम घनत्व वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता पर वृक्षारोपण करें अतः उप वन संरक्षक वृक्षारोपण के चयन पर पुनर्विचार करें।
  7. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
  8. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के DGPS map में corner coordinates नहीं है।
  9. उप वन संरक्षक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्ताव में कुल कितने वृक्षों का विदोहन किया जावेगा।
  10. प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है।
  11. उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न की गयी सथल निरीक्षण रिपोर्ट 1 वर्ष 5 माह पुरानी है अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जावे।
- आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

( दिनेश कुमार गुप्ता )

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक 17-04-2023

क्रमांक: एफ. 14( )2022/एफसीए/प्रमुवसं./ 5640-43  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़।
2. Assistant Engineer, AVVNL, Bengu

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर